मुख्यालय
सीमा सड़क महानिदेशालय
सीमा सड़क भवन
रिंग रोड, दिल्ली छावनी
नई दिल्ली-110010

17466/बैठक/सीसम/ 150 /हिंदी अनुभाग

10 अप्रैल 2026

(अपर महानिदेशालय (उत्तर-पश्चिम/पूर्व)
सभी अधीनस्थ परियोजनाएं एवं स्वतंत्र इकाईयां)

सीमा सड़क महानिदेशालय, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138वीं बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण

1. सीमा सड़क महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 138वीं बैठक दिनांक 20 मार्च 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे ब्रिगेडियर पी सतीश वारियर, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक का कार्यवृत्त (Minutes) आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।

2. सभी निदेशालयों/अपर महानिदेशालयों/परियोजनाओं एवं स्वतंत्र इकाइयों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करें तथा की गई कार्रवाई की सूचना इस मुख्यालय को भेजें।

(हेमेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
कृते सीमा सड़क महानिदेशक

अनुलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि

निदेशक (राजभाषा)
रक्षा मंत्रालय, (राजभाषा प्रभाग)
'बी'' विंग, द्वितीय तल, सेना भवन, नई दिल्ली-110011

सदस्य सचिव
नराकास (उत्तरी दिल्ली),
पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एन ए एस सी परिसर, पूसा, नई दिल्ली-110 012

उप निदेशक (कार्यान्वयन)
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय -1 (दिल्ली)
तृतीय तल, त्रिकूट-II, भीकाजी कामा प्लेस,
आरके पुरम, नई दिल्ली – 110066 (email ddriodel-dol@nic.in)

____________ (सभी निदेशालय)

दिनांक 20 मार्च 2026 को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बृहद बैठक का कार्यवृत्त / MINUTES OF COMPREHENSIVE QUARTERLY OLIC MEETING ORGANISED THROUGH VIDEO CONFERENCE ON 20 MAR 2026

1. दिनांक 20 मार्च 2026 को ब्रिगेडियर पी सतीश वारियर, अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में सभी परियोजना मुख्यालयों एवं अधीनस्थ इकाइयों के साथ प्रातः 11 बजे विशेष विडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। बैठक का आयोजन एवं संचालन श्री हेमेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया गया। बैठक में महानिदेशालय से अधिकारियों की उपस्थिति इस प्रकार रही :-

1.	ब्रिगेडियर पी सतीश वारियर, उपमहानिदेशक (डी एंड वी)	अध्यक्ष
2.	कर्नल सुदीप मानव, निदेशक (एचएस एंड पीआर)	सदस्य
3.	कर्नल ए के दीक्षित, सेना पदक, निदेशक (डी एंड एस)	सदस्य
4.	श्री राजकुमार, अधि. अभि. (सि.)	सदस्य
5.	सहा. अधि. अभियंता (सिविल) श्वेता गुप्ता	सदस्य
6.	श्री हेमेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन की अधीनस्थ मुख्यालयों/इकाइयों से इस विशेष विडियो कांफ्रेंस में वरिष्ठ अधिकारीगण आभासी रूप (vertually) से उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम श्री हेमेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की विधिवत कार्रवाई की शुरूआत की। उन्होंने अपने संबोधन में इस बैठक की पृष्ठभूमि एवं इसके आयोजन किए जाने के उद्देश्यों के विषय में सभी मुख्यालयों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई शिकायतकर्ताओं द्वारा सीमा सड़क संगठन में राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 11 के उल्लंघन की गंभीर शिकायतें दर्ज की गई हैं जिनमें बताया गया है कि बीआरओ में हिंदी की उपेक्षा करके शिलान्यास/उदघाटन शिलापट्ट, साइन बोर्ड, मील के पत्थर एवं अन्य मार्गदर्शी चिन्हों को केवल अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। इस संबंध में श्री मनीष त्रिपाठी, अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय द्वारा सीमा सड़क महानिदेशक महोदय को संबोधित कई अर्ध-सरकारी पत्र भी लिखे गए हैं जिनमें इस विषय पर जवाब मांगा गया है।

3. श्री हेमेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने बैठक के विषयों की जानकारी देते हुए बताया कि :-

(क) सीमा सड़क संगठन के कार्यक्षेत्र में लगे सभी बोर्ड इत्यादि द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में लगाए जाऐं। इस क्रम में प्रमुख स्थानों पर प्रयुक्त सभी शिलान्यास/उद्घाटन शिलापट्ट, मील के पत्थर एवं अन्य मार्गदर्शी चिन्हों को, खासकर - अटल सुरंग, सेला सुरंग, श्योक सुरंग, Pangong Tso झील व इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे बोर्ड तत्काल द्विभाषी/त्रिभाषी रूप (हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी हिंदी – अंग्रेजी का क्रम एवं गैर हिंदी भाषी राज्यों में त्रिभाषी – स्थानीय भाषा – हिंदी – अंग्रेजी के क्रम में) लिखे जाएं एवं शेष को भी यथाशीघ्र इसी प्रकार तैयार किया जाए।

....2..

(ख) भविष्य में इस प्रकार के जो भी साइन बोर्ड इत्यादि लगाए जाएंगे वे सभी अनिवार्य रूप से द्विभाषी/त्रिभाषी होंगे।

(ग) आईआरसी (IRC) कोड 67-2012 (code of practice for Road signs) तथा राजभाषा नियम-11 का पालन किया जाए।

(घ) इस प्रकार के सभी साइन बोर्ड इत्यादि बनाने से पहले इस महानिदेशालय के हिंदी अनुभाग से अनुमोदित कराए जाएं।

(च) परियोजनाओं/इकाई के कार्यक्षेत्र व परिसर में लगे इस प्रकार के बोर्ड की कुल संख्या तत्काल उपलब्ध कराऐं।

(छ) वर्तमान में अंग्रेजी में लगे बोर्ड को कब तक द्विभाषी/त्रिभाषी रूप में बदला जा सकेगा उसका चरणबद्ध कार्यक्रम अवगत कराऐगें।

(कार्रवाई: सभी अधीनस्थ मुख्यालय) (समीक्षा दायित्व – तकनीकी सेंट्रल)

(ज) <u>साप्ताहिक हिंदी दिवस</u> – सीमा सड़क संगठन में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सप्ताह का प्रत्येक बुधवार ''हिंदी दिवस'' के रूप में मनाया जाता रहा है। उस दिन समस्त वार्तालाप एवं कार्यालयीन कार्य हिंदी में किये जाने की परम्परा रही है। सभी निदेशालय एवं अधीनस्थ मुख्यालय प्रत्येक बुधवार को साप्ताहिक ''हिंदी दिवस'' के रूप में मनाते हुए समस्त पत्राचार एवं वार्तालाप हिंदी में ही करेंगे।

(कार्रवाई: सभी परियोजनाएं/केन्द्रीय इकाइयां/सभी निदेशालय)

(झ) **हिंदी पत्राचार** – सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है जिसमें क्षेत्रवार आधार पर हिंदी में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते है, तदनुसार सभी मुख्यालय निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में पत्राचार करें। वर्ष 2025-26 के लिए निम्नानुसार पत्राचार वांछित है :-

हिंदी में मूल पत्राचार (ईमेल सहित)

"क" क्षेत्र	1. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को	- 100%
	2. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को	- 70%
	3. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	- 100%
"ख" क्षेत्र	1. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को	- 90%
	2. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को	- 60%
	3. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	- 90%
"ग" क्षेत्र	1. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र को	- 60%
	2. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को	- 60%
	3. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	- 60%

(कार्रवाई: सभी निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(ट) **<u>द्विभाषी मोहरों का प्रयोग</u>** – महानिदेशालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ निदेशालय/अनुभागों में प्रयोग की जा रही रबड़ की मोहरें द्विभाषी रूप में नहीं हैं जबकि कहीं-कहीं द्विभाषी मोहरों में अंग्रेजी को ऊपर एवं हिंदी उसके नीचे लिखी गई है जो कि अनुचित है। कृपया सुनिश्चित करें कि जो भी रबड़ की मोहरें द्विभाषी नहीं हैं उन्हें तत्काल द्विभाषी रूप में बनवाए एवं उनमें हिंदी पहले/ऊपर तथा अंग्रेजी नीचे/बाद में लिखी जाए।

(कार्रवाई: सभी निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(ठ) **<u>हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना</u>** - महानिदेशालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ निदेशालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं जो राजभाषा नियमों का उल्लंघन है। कृपया सुनिश्चित करें कि जो भी पत्र हिंदी में प्राप्त होता है उसका उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही दिया जाए।

(कार्रवाई: सभी निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(ड) **<u>वेबसाईट (Website)</u>** - वेबसाईट में हिंदी का विकल्प अंग्रेजी के पीछे छुपा हुआ है जबकि होमपेज या तो सीधे हिंदी में खुले या हिंदी का विकल्प उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।

इस पर सहा. अधि. अभि. (सि) श्वेता गुप्ता, प्रभारी अधिकारी (ईडीपी) ने कहा कि वेबसाईट का होमपेज सीधे हिंदी में खुलने संबंधी कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाएगी।

(कार्रवाई: तकनीकी योजना निदेशालय/ईडीपी अनुभाग)

(ढ) वेबसाइट पर अपलोड की गयी सामग्री द्विभाषी होनी चाहिए। अपलोड करने से पूर्व हिंदी अनुभाग से हिंदी पाठ की शुद्धता की जाँच करवा ली जाए।

(कार्रवाई: तकनीकी योजना निदेशालय/ईडीपी अनुभाग)

(त) **<u>सोशल मीडिया (Social Media)</u>** – महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार बीआरओ के X हैंडल पर अपलोड किए जाने वाला दिन का पहला ट्वीट व हर तीसरा ट्वीट अनिवार्य रूप से हिंदी में ही होगा। इस प्रकार कम से कम 33 प्रतिशत ट्वीट हिंदी में किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त सभी परियोजनाएं सोशल मीडिया पर अपलोड की जाने वाली रील्स/वीडियो की सामग्री हिंदी में तैयार करें।

(कार्रवाई: एचएसपीआर एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(थ) **<u>वाहनों पर हिंदी का प्रयोग</u>** - संगठन में प्रयोग में लाए जा रहे सभी वाहनों पर विभाग/इकाई का नाम द्विभाषी रूप में लिखा जाए।

(कार्रवाई: तकनीकी प्रशासन निदेशालय एवं अधीनस्थ मुख्यालय)

4. इसके पश्चात सहायक निदेशक महोदय ने ब्रिगेडियर सतीश पी वारियर, उप महानिदेशक (डी एण्ड वी) अध्यक्ष राजभाषा समिति को इस विशेष बैठक में अपने दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आमंत्रित किया। अध्यक्ष महोदय ने बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि :-

(क) सीमा सड़क संगठन के कार्यक्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर प्रयुक्त सभी शिलान्यास/उदघाटन शिलापट्ट, मील के पत्थर एवं अन्य मार्गदर्शी चिन्हों को बदलने की कार्रवाई एक साथ संभव नहीं है फिर भी सभी परियोजनाऐं इस दिशा में कार्य करते हुए दिनांक 31 मार्च 2026 तक कार्य समापन की रूपरेखा विषयक अंतरिम रिपोर्ट इस महानिदेशालय को प्रस्तुत करें। साथ ही सभी परियोजना मुख्य अभियंता इस विषय पर कार्रवाई करते हुए पहले (before) एवं बाद में (after) के रूप में फोटोग्राफ इस महानिदेशालय के तकनीकी प्रशासन निदेशालय/हिंदी अनुभाग को प्रेषित करें, ताकि उन्हें यहाँ समेकित रूप से संकलित कर रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस विषय की प्रगति की समीक्षा आगामी मई या जून माह की बैठक में की जाएगी।

(कार्रवाई: तकनीकी योजना निदेशालय/हिंदी अनुभाग एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(ख) अध्यक्ष महोदय ने आगे निर्देश जारी करते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर किए जाने वाले ट्वीट एवं अन्य संदेशों के विषय में जो निर्देश अभी सहायक निदेशक (राजभाषा) ने जारी किए है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक बुधवार को 'साप्ताहिक हिंदी दिवस' मनाया जाए, हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिए जाएं साथ ही उन्होंने निदेश जारी किया कि विभागीय साइन बोर्ड/शिलापट्ट/उदघाटन पट्ट इत्यादि पर स्थानीय भाषा, अंग्रेजी एवं हिंदी के अक्षरों का साईज बराबर होना चाहिए।

(कार्रवाई: तकनीकी योजना निदेशालय एवं अधीनस्थ इकाइयां)

(ग) इसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने आभाषी (Vartual) रूप से जुड़े सभी परियोजनाओं के पदाधिकारियों से कार्रवाई हेतु सुझाव आमंत्रित किए। इस पर विजयक परियोजना के पदाधिकारी ने इस बैठक के एजेंडा प्वाईंट्स की प्रतिलिपि प्रेषित करने का अनुरोध किया। इस पर अध्यक्ष महोदय ने एजेंडा प्वाईंट्स पुन: प्रेषित करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान की।

5. अंत में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो भी निर्देश/सुझाव बैठक में दिए गए हैं उन पर सभी अपने निदेशालय/मुख्यालय में अमल करें एवं राजभाषा नीति के अनुसार कार्यालय में पत्राचार सुनिश्चित करें। इसके अलावा कोई मुद्दा/सुझाव नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ 11:45 बजे बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

*****